बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं०सं०–ल०सिं०मो०– C.M.-e-dash-05/2020– 1249 (मो०) */पटना, दिनांक–* 20-06-2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना।

विषयः– **पटना जिला के संपतचक प्रखण्ड में 24 तालाबों का जल–जीवन–हरियाली योजना अन्तर्गत जीर्णोद्धार करने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः– **प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0, पटना का पत्रांक–17494/20, दिनांक–23.04.2020**

महाशय,

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0, पटना द्वारा पटना जिला के संपतचक प्रखण्ड अन्तर्गत 24 तालाबों को जल संरक्षण/जल संचयन की क्षमता विकसित करने हेतु जीर्णोद्धार कराने का अनुरोध किया गया है, जिसपर माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा जनहित में आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया है।

निदेशानुसार प्रासंगिक पत्र की छाया–प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उसमें वर्णित योजनाओं को जिला स्तर पर गठित परामर्शदातृ समिति से नियमानुसार सहमति प्राप्त कर जल–जीवन–हरियाली अभियान के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पटना एवं विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/- 19/6/2020
**अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।**

ज्ञापांक– 1249 (मो०) */पटना, दिनांक–* 20-06-2020

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पटना/अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, पटना/मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 19/6/2020
**अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।**

ज्ञापांक– 1249 (मो०) */पटना, दिनांक–* 20-06-2020

प्रतिलिपि–विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 19/6/2020
**अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।**

ज्ञापांक– 1249 (मो०) */पटना, दिनांक–* 20-06-2020

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 19/6/2020
**अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।**

ज्ञापांक– 1249 (मो०) */पटना, दिनांक–* 20-06-2020

प्रतिलिपि–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 19/6/2020
**अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।**

D:\AWADH-2020\LETTER-\JUNE-2020\D.M.- PATNA- SAMPATCHAK-13-06-2020-.DOCX

(931)

ऋषिकेश कश्यप
Rishikesh Kashyap

प्रबंध निदेशक/Managing Director
बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि.
Co-operative Fisheries Federation (COFFED)

निदेशक/Director
राष्ट्रीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ मर्यादित
National Federation of Fishers Cooperatives Ltd. (FISHCOPFED)
(Administrateve Control of Ministry of Agriculture, Govt. of India)

पत्रांक 17494/20 दिनांक 23. 4. 2020

मंत्री कोषांग
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।
गै०स०प्रे०सं० 474
दिनांक 27/05/2020

प्रेषक :

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि०, पटना ।

सेवा में,

माननीय मंत्री,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

(लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना, 30 MAY 2020, प्रधान सचिव कोषांग)

विषयः– संपतचक प्रखंड अन्तर्गत 24 तालाबों का जल–जीवन–हरियाली योजना अन्तर्गत जीर्णोद्धार करने के संबंध में।

प्रसंगः– जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पटना, का पत्रांकः–0 दिनांकः– 4.09.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र (अनुसूची–1) के आलोक में अनुरोधपूर्वक कहना है कि आवेदक के साथ 24 जलकरों की बन्दोवस्ती जिला मत्स्य पदाधिकारी, पटना के द्वारा पांच वर्षों के लिए किया गया है। उक्त सभी तालाबों को जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है ताकि तालाबों में पानी संचयन की क्षमता विकसित हो सके और उससे ground water recharge हो सके। माननीय के नेतृत्व में जल–जीवन–हरियाली योजनान्तर्गत अभियान चलाकर तालाबों का जीर्णोंद्धार का कार्य किया जा रहा है। 24,000 करोड़ (चौबीस हजार) करोड़ के महत्वकांक्षी योजना में भी संपतचक के 24 तालाबों का चयन नहीं हो पाया है।

आप अवगत है कि तालाबों का निर्माण आजादी के पूर्व में किया गया उसके बाद तालाबों का जीणोद्धार का कार्य नहीं हो सका। तालाबों के जीर्णोदार हो जाने से एक ओर ground water recharge होगा, उस क्षेत्र का water level उपर हो जायगा। लोगों के चापाकलों में निर्वाध रूप से स्वच्छ पानी मुहैया हो सकेगा साथ ही आस पास में मवेशी, खेतों

D:\Drive-D\File-A\A-367 Pond Renovtion

को पटवन के लिए पानी भी उपलब्ध होगा इस भंयकर गर्मी में आग से गाँव के गाँव तबाह हो जाता है। जिसे बुझाने के लिए पानी उपलब्ध होगा। इतना ही नहीं उक्त क्षेत्र के परम्परागत हजारों मछुआरें जो बेरोजगार होकर प्रदेश से बाहर चले गये है, उन्हें रोजगार मुहैया हो सके।

अतः माननीय से अनुरोध है कि सम्पतचक प्रखंड अन्तर्गत आवेदक के साथ बन्दोवस्त 24 जलकरों को अपने विभाग से जल–जीवन-हरियाली योजना अन्तर्गत जीर्णोद्धार कराने की कृपा की जाय ताकि जल संरक्षण/जल संचयन हो सके और अधिक से अधिक परम्परागत मछुआरों को रोजगार मुहैया कराई जा सके।

अनुलग्नक–यथोपरोक्त।

विश्वासभाजन

23.04.19

(ऋषिकेश कश्यप)
प्रबंध निदेशक

23/4/20

D:\Drive-D\File-A\A-367 Pond Renovtion

(324)

(80)

कार्यालयः– जिला मत्स्य कार्यालय, पटना

पत्रांक..............................

सेवा में,

श्री हृषिकेश कश्यप पिता/पति..............................

ग्राम– कोरिंथ कैनाल रोड पटना जिला– पटना।

मत्स्य/पटना, दिनांक 03/09/2019

विषयः– आपके साथ बन्दोवस्त सम्पतचक अंचल के 32 (बत्तीस) जलकरों (सूची संलग्न) जलकर का मत्स्य पालन एवं शिकारमाही का परवाना निर्गत करने के संबंध में।

महाशया,

उर्पयुक्त विषयान्तर्गत कहना है कि सम्पतचक अंचल के 32 (बत्तीस) सूची संलग्न जलकर खाता सं० (सूची में वर्णित) खेसरा (सूची में वर्णित) रकवा (सूची में वर्णित) की अल्पकालीन बन्दोवस्ती आपके साथ वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक के लिए की गई है तथा आपके द्वारा वर्ष 2019-2020 का राजस्व कार्यालय ~~में रसीद~~ ~~सं० दिनांक~~ ~~द्वारा~~ ई० जमा कर दिया गया है।

अतः उक्त तालाब में दिनांक 01/07/2019 से 30/06/2020 तक मत्स्य पालन एवं शिकारमाही का परवाना (अधिकार) निम्न शर्तो के साथ दिया जाता है:–

1. जलकर की रूप रेखा में किसी प्रकार का परिवर्तन वर्जित रहेगा।
2. समी शिकारमाही हेतु डायनामाईट या विस्फोटक पर्दाथ या अन्य जहरीली पदार्थ का प्रयोग प्रतिषेध् रहेगी।
3. आपके साथ बन्दोवस्त तालाब को सव लीज (दूसरे को देना) करना अवैध है, ऐसा करने पर बन्दोवस्ती रद्द कर दी जायेगी।
4. बन्दोवस्त जलकर में यदि सरकार द्वारा कोई योजना कार्यान्वित होती है तो आपको इसमें सहयोग प्रदान करना होगा।
5. यह बन्दोवस्ती उच्चाधिकारी अथवा न्यायालय के द्वारा दिये गयें अन्यथा आदेश से प्रभावी होगा जो आपको मान्य होगा।
6. तालाब में कम से कम औसतन 5 फीट जल स्तर होने पर सिंचाई हेतु जल निकासी का आदेश जिला मत्स्य पदाधिकारी दे सकेगें।
7. बिगहेड एवं विदेशी मांगूर तथा कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अन्य प्रतिबंधित मछली का पालन एवं प्रजनन प्रतिषेध् रहेगा।
8. बन्दोवस्ती के 15 दिनों के अन्दर एकरारनामा एवं निबंधन आपको स्वयं के खर्च पर करानां होगा तथा जलकर प्रबंधन अधिनियम का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

विश्वासभाजन

04/9/19

जिला मत्स्य पदाधिकारी

–सह–

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,

05/09/19

(178)

21	चकबैरिया	512, 71	2574, 1097, 2994	3.76
22	मनोहरपुर	133	154	0.10
23	वरूणा	58	349, 319	1.82
24	बहुआरा टोला	3	—	—
25	कमरजी	47, 81	351, 397	2.48
26	लंका कछुआरा	115	790, 721	21.37
27	गौरीचक	14, 32, 41	164, 2, 249	4.45
28	अलावनसपुर I	100, 116	247, 350	5.00
29	अलावनसपुर II	—	681, 960	15.31
30	मोकिमपुर	65	16, 96, 126	5.70
31	कौली	131, 34	610, 838	30.60
32	कुंडानवादा	157	55, 103, 120	16.04

04/9/19

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

पटना

79 · (329)

कार्यालयः जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना

सम्पत्तचक आंचल के जलकरो की सूची

क्र0	जलकर/तालाब का नाम/ग्राम	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ मे)
1	2	3	4	5
1	शेखपुरा	28, 61, 23, 39, 3, 68	477, 596, 101, 808, 219, 207, 290, 622, 34, 361	6.52
2	भोगीपुर	47	36, 117, 210	3.61
3	चैनपुरा	102	267, 464, 704, 615	2.11
4	दरियापुर	47, 98, 209	308, 312, 44, 422, 509, 13, 244, 139, 73	7.02
5	हण्डेर	156, 182, 3, 113	957, 904, 224, 647, 1331, 1229, 644	3.74
6	फैजलाबाद	101, 71, 72	105, 249, 654, 491, 451, 190, 523, 57, 248	4.29
7	भेलवारा	30, 191, 121	349, 772, 137, 229, 451, 94	5.85
8	कंडाप	880, 850, 890, 329	3356, 1003, 2120, 2357, 3327, 433, 636, 1855, 1611, 2364, 1575, 2013, 9593	11.29
9	मल्लिकपुर बहुआरा	126	225, 655, 788, 428, 569, 3, 1244, 1327, 1339, 1338, 1199, 1305	15.07
10	जुझारपुर	20, 98, 441, 201, 48	497, 596, 101, 818, 219, 207, 136, 467	6.92
11	सोहगी	227	2, 12, 93, 95, 234, 1890	4.70
12	बैरिया	812	1785, 374, 1385	3.08
13	कर्णपुरा	17	297, 480	1.01
14	अब्दुल्लाहचक	50	136, 384	2.06
15	बंडोहटोला सोहगी	156	233	1.70
16	शाहपुर	136	169, 223, 242, 849	3.27
17	खेमनीचक	30	77	0.29
18	सम्पत्तचक	812, 21, 28, 75	1590, 1720, 2016, 1931	2.12
19	उदैनी	16, 47, 48	246, 272, 277, 283, 280, 28, 622, 637, 963, 517, 338, 402, 395, 773, 351, 63	6.75
20	चकपुल	85, 86	137, 138, 167	0.58

04/9/
जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी